भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1767
बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम

1767# श्रीमती दर्शना सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित हो चुका है;
(ख) यदि हां, तो यह अधिनियम कब से लागू होगा/लागू हो चुका है;
(ग) क्या बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2023 के द्वारा कमजोर एवं रुग्ण सहकारी समितियों के पुनः उत्थान के लिए कोई कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रावधान से बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ। बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही में वृद्धि और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार, आदि तथा सत्तानवेंवां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने हेतु मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम और नियम 2023 को क्रमश: दिनांक 03.08.2023 और दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम के उपबंध दिनांक 03.08.2023 से प्रवृत्त हो गए हैं।

(ग) और (घ): जी हाँ। रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 63क के अधीन सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि की स्थापना की गई है।

*****